श्रीमती रेखा चौधरी उम्र 60वर्ष पत्नी श्री किशनलाल जाति जाट निवासी 138ए तलवण्डी कोटा जिला कोटा राजस्थान। – वादीनी–

बनाम

1. राधाबाई पुत्री घांसीलाल पत्नी बालू जी जाति गूजर
2. रूकमणीबाई पुत्री घांसीलाल पत्नी अमरलाल जी जाति गूजर निवासीगण ग्राम किशोर सागर(कालिया कुई) तहसील कनवास
3. मन्नीबाई पुत्री घांसीलाल पत्नी चौथमल जी जाति गूजर निवासीनी अमरकुआ पो कोलाना तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय तहसील कनवास जिला कोटा।

– प्रतिवादीगण–

वाद बाबत खातेदारी घोषणा,इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादी की ओर से :– श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट।

प्रतिवादीकम1ता3की ओर सेः– एक तरफा

प्रतिवादी कम4 की ओर सेः– पैरोकार सरकार

--:: निर्णय::–

दिनांक 25.1.20

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी ने इस न्यायालय मे एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया, कि ग्राम किशोर सागर पटवार हल्का मोरूकलॉ तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में वर्तमान खसरा न0 132/1868 की 1.62हेक्टर, कृषि भूमि स्थित है, जो कि घांसीलाल पुत्र गिरधारी जाति गूजर निवासी कालिया कुई के नाम से राजस्व रेकार्ड मे दर्ज रही है।खातेदार घांसीलाल पुत्र गिरधारी जाति गूजर निवासी कालिया कुई ने उसके खाते मे वर्णित उक्त खसरा नम्बर 132/1868 की 1.62हेक्टर कृषि भूमि को रूपयो कीआवश्यकता आ जाने की वजह से दिनांक 28.10.2006 को रूपये 50,000 मे पंजीकृत विकय विलेख के द्वारा वादीनी को विकय कर दिया था, तथा विकय उपरान्त वादीनी को उक्त विकीत कृषि भूमि खसरा न0 132/1868 की 1.62हेक्टर कृषि भूमि को मौके पर जाकर रिक्त आधिपत्य संभला दिया था, तथा वक्त खरीद से उक्त कृषि भूमि पर वादीनी का शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीनी उक्त कृषि भूमि को कभी मुनाफा काश्त पर व कभी पांती काश्त पर काश्त करवाती चली आ रहीहै, उक्त कृषि भूमि वादीनी के एक मात्र शांति पूर्वक कब्जे काश्त मे चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि को दिनांक

2..

2..

28.10.2006 से खरीद करने के पश्चात वादीनी ने उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड मे अपना नाम दर्ज करवाने के लिए तत्कालीन हल्का पटवारी महोदय को पंजीकृत विक्रय विलेख की नकल दे दी थी, जिसे प्राप्त कर हल्का पटवारीजी ने नामान्तरण दर्ज करने का आश्वासन वादीनी को दे दिया था, वादीनी कोटा में निवास करने की वजह से प्रतिवर्ष उक्त कृषि भूमि मे क़ाश्त की व्यवस्था करती रही, तथा लगातार उक्त कृषि भूमि मे उपयोग उपभोग मे रही, इस वजह से वादीनी को उक्तकृषि भूमि से सम्बन्धित खाते की नकल आवश्यकता नही हुई, दिनांक 14.11.2013 को कृषि भूमि से सम्बन्धित खाते की नकल प्राप्त की, तो वादीनी की जानकारी मे आया, कि हल्का पटवारी जी ने राजस्व खाते मे वादीनी का नाम दर्ज नही किया है, बल्कि उक्त कृषि भूमि में खातेदार घांसीलाल पुत्र गिरधारी जाति गूजर निवासी कालिया कुई की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण क्रम 1ता3 का नाम दर्ज कर दिया, इस पर वादीनी ने मृतक घांसीलाल के स्थान पर खाते मे दर्ज उनकी पुत्रियो के बारे मे जानकारी ली, और उनसे सम्पर्क कर उक्त कृषि भूमि को मृतक श्री घांसीलाल से खरीद कर लेने के बारे मे कहा, और प्रतिवादी क्रम 1ता3 के स्थान पर वादीनी का नाम दर्ज करवाये जाने बाबत निवेदन किया,तो पहले तो उन्होने वादीनी को आश्वासन दिया, व बाद में मना करते हुए कहा, कि हम आपका नाम दर्ज नही करवायेंगे। प्रतिवादी क्रम1ता3 द्वारा किये गये कथन से वादीनी के मन मे यह भय उत्पन्न हो गया है, कि प्रतिवादी क्रम 1ता3 राजस्व रेकार्ड मे नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द कर सकती है, व उक्त कृषि भूमि मे वादीनी के शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे बाधा पहुचाने का प्रयास कर सकती है, इसलिए वादीनी ने उक्त वाद सम्मानीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। आवश्यक हो गया, कि वह माननीय न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर राजस्व खाते में प्रतिवादी क्रम 1ता3 के स्थान पर वादीनी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज करवा लेवे। उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई, प्रतिवादीक्रम1ता3 के अनुपस्थित होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायीगई, तथा प्रतिवादी क्रम4 द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे को शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य वादीनी मे वादीनी की ओर से स्वयं के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया, तथा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी, विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2006 को प्रदर्श करवाया, बहस एकतरफा वादीनी सुनी गई, पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

बहस वादीनी में वादीनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र मे वर्णित तथ्यो को दौहराया गया, हमारी विनम्र राय में वादीनी उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व स्वयं के बयान के आधार पर अपने प्रकरण को साबित करने मे सफल रही है। इसके विपरीत वादीनी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण कीओर से कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, यहा तक कि वे जवाब प्रस्तुत करने मे भी असमर्थ रहे है, उनके इस न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल मे लायी गई है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यव

संलग्न दस्तावेजात के विवेचन के आधार पर हम यह मानते है, कि वादीनी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है, जो कि स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादीनी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अंतिम रूपसे स्वीकार कर डिक्री किया जाता है, तथा वादीनी को ग्राम किशोर सागर पटवार हल्का मोरूकलॉ तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में वर्तमान खसरा न0 132/1868 की 1.62हेक्टर, कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम मे उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर वादीनी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। नियमानुसार परचा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2017 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

हस्ताक्षर मय मोहर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज०)

उपजिला कलेक्टर
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

श्रीमती रेखा चौधरी उम्र 60 वर्ष पत्नी किशनलाल जाति जाट निवासी 138ए तलवण्डी कोटा जिला कोटा राजस्थान।

वादीनी

बनाम

1. राधाबाई पुत्री घांसीलाल पत्नी बालू जी जाति गुर्जर।
2. रूकमणी पुत्री घांसीलाल पत्नी अमरलाल जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम किशोर सांगर (कालिया कुई) तहसील कनवास।
3. मन्नीबाई पुत्री घांसीलाल पत्नी चौथमल जाति गुर्जर निवासीनी अमरकुआ पोस्ट कोलाना तहसील लाडपुरा।
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. **91/15** सन **2015** तारीख फैसला **25.01.2017** **न्यायालय ब इजलास श्री लहरी कुमार जैन उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी **श्री अशोक कुमार जैन एडवोकेट** वादी मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 **लगायत** 03 एक तरफा व प्रतिवादी नं. 4 **स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि वादीनी को ग्राम किशोर सागर पटवार हल्का मोरूकला तहसील सांगोद हाल तहसील कनवास में वर्तमान खसरा नंबर 132/1868 की 1.62 है0, कृषि भूमि का **खातेदार कृषक घोषित किया जाता है,** तथा उक्त घोषणा के अनुक्रम में उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकार्ड **में इन्द्राज दुरस्त** किया जाकर वादीनी का नाम बतौर खातेदार कृषक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार **अन्तिम डिक्री जारी की जाती** है । नीज ... X ..मुबलिग .... X ... बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ..फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25.01.2017** माह जनवरी 2017 को जारी की गई।

मोहर .....

श्री लहरी कुमार जैन
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा

मुदई		रूपया	पै.	मुदायलाह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कनवास
जिला कोटा